कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 236 / 2 ई.व.भू दिनांक 23/01/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषयः– **जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 1.747 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः– भारत सरकार के पत्रॉक 8बी0/यू0सी0पी0/06/209/2015/एफ0सी0/1119 दिनांक 26.09.2017

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र सं0 2723/2ई0व0भू0 दिनांक 18.11.2020 द्वारा आपके माध्यम से प्रेषित की गइ थी, वर्तमान में आपके पत्र सं0 5285/12–1–2 बागेश्वर दिनांक 28.06.2023 द्वारा अतिरिक्त एन.पी.वी. की देय धनरीाशि की मॉग की गई थी, जमा की जा चुकी है। अतः संशोधित अनुपालन आख्या बिन्दुवार चार 4 प्रतियों में संलग्न कर निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त उल्लेखित शर्तो के (संशोधित) अनुपालन आख्या

क्र0स0	शर्त	अनुपालन का विवरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.50 है0 बगडुंगरा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्त्रण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 3.494 है0 ग्राम बंगडुगरा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 09,75,328.00 मात्र (रू0 नौ लाख पिचहत्तर हजार तीन सौ अठाइस मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR नं0 U000000522974762 Dtd 5.11.2018 द्वारा किया जा चुका है। साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 3.494 है0 ग्राम बंगडुंगरा का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 75/छब्बीस–06वन/2016–17 दिनांक 03.01.2018 द्वारा, तहसीलदार बागेश्वर के पत्रॉक–मैमो/र0का0/2017–18 दिनांक 26.03.2018 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण /नामान्तरण कर दिया गया है। **(सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02. 2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शर्त सं0 2 के अनुपालन में रू0 11,47,779.00 (रू0 ग्यारह लाख सेंतालीस हजार सात सौ उन्नासी मात्र) एन0पी0वी0 की धनराशि भुगतान UTR नं0 U000000522974762 Dtd 5.11.2018 द्वारा RTGS/NEFT के माध्यम से कर दिया गया है। **(सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)** तथा एन0पी0वी0 की अतिरिक्त देय धनराशि UTR No-SBIN0996335 dtd 22.09.2023 द्वारा रू0 06,08,323.00 जमा की जा चुकी है तथा **(चालान की प्रति संलग्न)।**

3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्वता प्रमाण पत्र **संलग्न है।**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।	एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR नं0 U000000522974762 Dtd 05.11.2018 द्वारा रू0 21,23,107.00 जमा की जा चुकी है **(चालान की प्रति संलग्न)।**
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जोयगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेशित करनी होगी।	शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण **प्रमाण पत्र संलग्न है।**
6	State Govt will provide/upload Village Level Committee proceeding for village Lohari Talli because this document has not been provided. Further, the date of Village Level Committee meeting proceedings of remaining 6 villages is after the date of Sub-Divisional Level Committee meeting, the District Level Committee meeting and the date of issue of FRA certificate. This anomaly will be corrected by the State Govt. and revised document will be submitted/upload accordingly.	Village Level Committee proceeding for village Lohari Talli is enclosed in 5 copies. Further, remaining 6 villages, Village Level Committee meeting is corrected and is being enclosed herewith in 5 copies.

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना चार प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न– सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित

डिस्पैचर
प्राप्त 24/01/2024
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

भवदीय,
23/01/24
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

(3) Voucher 2 Date 2/11/18

1808-CCL/PWD

Core Treasury System (CTS UK)

E-Cheque Advise

Government Of Uttarakhand

e ChequeID :CC89001808111800003 Date :02-NOV-18

Div Code	:	1808	**Division Name**	:	Provincial Division P.W.D.
Grant No.	:	PAC	**Scheme**	:	5054043370304 NV
Code	:	XXXXX1234C	**Name**	:	Uttaranchal campa
Payment Type	:	Final Bill	**Project Name**	:	N.P.B PROJECTS PAYMENTS (PV)(50540480003

ALLOTED AMT : 141321305 EXPENDITURE AMT : 94987892 REMAINING AMT : 46333413

To,

CTO/Sr.TO/TO/STO
Bageshwar

Please pay to Uttaranchal campa
Corporation Bank IFSC Code CORP0000371 Account No.150896110057887 as per detail below.

1.	In Contractor Bank A/C	2123107
	GST TDS (CPIN :)	0
	Total Payment	2123107

Amount in words : (Rs. Twenty-One Lac Twenty-Three Thousand One Hundred Seven Only.)

Detail given above is checked by me personally and is correct.

Signature with Seal
DAO/Sr.DAO Provincial Division P.W.D. Bageshwar

Signature with Seal
Executive Engineer PD PWDBageswar

For Treasury Use

Voucher No.
Voucher Date. / /

ID :CC89001808111800003 Date :02-N

Passed Amount Rs. : 2123107.00

Payment Id :

Amount in words : (Rs. Twenty-One Lac Twenty-Three Thousand One Hundred Seven Only.)

Bank Amount Rs. : 2123107.00 Amount By TC Rs. : 0.00

P.C. Attested by

Accountant Signature

ATO Signature

CTO/Sr.TO/TO/STO Signature

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

जनपद बागेश्वर में लोहारी - सिंल्ली बन्ड - कनस्यारा मार्ग का निर्माण

Passed for Rs 2123107/-

Head of Account

AE

Form No. 28-HAND RECEIPT

(See Chap.XIP, Para 440, 446 and 460)

AE

Date 2/11/018 20

Cash Book Voucher No. 2

(1) Paid by Cheque/Cash/Rupees (2123107/-) to Sri UTTRANCHAL CAMPA.

(2) Paid by Me.....

RECEIVED for the E.E. P.D. P.W.D. in charge of Bageshwar

Sub-Divison.....AE IV.....Division the sum. of

Rs. 2123107/-.....Name of work * or purpose of

which payment is made पत्रांक 564/22 बजट (एन०पी०वी०)/2018-19.

दि० -18/09/2018.

(Amount in Vernaculer)

Vid MB No 585(L) Page No-18

C/S for Rs. 2123107/-

PAID VIDE CHEQUE

No. CC100003

Date 2/11/018

Signature of Payees

Date.....20

Withses

U.T.R. No - U000000522974762.

Dtd. 05-11-2018.

Photo Copy Attested

Assistant Engineer

P.D.P.W.D. Bageshwar

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 17-10-2018

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6110057887
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/209/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(In Rs)	2123107/-

Amount In Words :Twenty-One Lakh Twenty-Three Thousand One Hundred and Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896110057887 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 17-10-2018

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6110057887
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/209/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(In Rs)	2123107/-

Amount In Words :Twenty-One Lakh Twenty-Three Thousand One Hundred and Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896110057887 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D.P.W.D Bageshwar

आदेश

उपजिलाधिकारी बागेश्वर की आख्या/रिपोर्ट के आधार पर जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 1.747 है0 की दुगुनी अवनत भूमि 3.494 है0 जो ग्राम बंगडुंगरा राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र, बिलखेत तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–10 के पैमाईशी खेत नम्बर– 141 रकवा 1.750है0, पैमाईशी खेत नम्बर– 541 रकवा 0.783 है0,खेत संख्या–543 मध्ये रकवा 0.620 है0 एंव खेत संख्या–544 मध्ये रकवा 0.341है0 कुल खेत 04 कुल रकवा 3.494 है0 भूमि जो श्रेणी 9(3) ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि भूमि को शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)2012–18 (120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 08बी/20सीपी/06/209/2015/1019 दिनांक 26-09-2017 में दी गयी शर्तो के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर।

संख्या –75/ छब्बीस –06 वन /2016–17 दिनांक 3/1 /2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर।
2– उपजिलाधिकारी,बागेश्वर ।
3– अधिशासी अभियंता,लोक निर्माण विभाग,बागेश्वर।
4– तहसीलदार,बागेश्वर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण /नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक –एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
P.D.P.W.D Bageshwar

कार्यालय तहसीलदार बागेश्वर
संख्या मैमो / र0का0 / 2017–18 दिनाक 26.03.2018

सेवा में ,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय– जनपद बागेश्वर लोहरी–सिल्ली– वण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.747है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेंतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्वन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र सं0 240 / छब्बीस– 06वन / 2017–18 दिनांक 30.11.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें जनपद बागेश्वर लोहरी–सिल्ली–वण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.747है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु वन विभाग को दो गुनी भूमि 3.494है0 हस्तान्तरित एंव नामान्तरित की जानी है जिसके लिए ग्राम वगडुगरा पटवारी क्षेत्र विलखेत तहसील वागेश्वर के गैर ज0वि0 खतौनी श्रेणी 9 (3) ख के खाता न0 10के पैमाईसी खेतन0 141रकवा1.750 है0, 541रकवा 0.783है, 543म00.620है0, 544म0 0.341है0, कुल 3.494है0 भूमि वन विभाग बागेश्वर के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु खतौनी में दर्ज [illegible] चुकी है जिसकी खतौनी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः आख्या सेवामें प्रेषित है।

तहसीलदार,
बागेश्वर।

प्रतिलिपि–1. प्रभारी वनाधिकारी महोदय बागेश्वर को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग वागेश्वर महोदय को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

तहसीलदार,
बागेश्वर।

वनभूमि सहायक
29/9/18

O/C

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

पौर ज० वि० खतौनी उद्धरण ग्राम बंगडुआरा क्षेत्र बिलखेत तह०- बागेश्वर
प्रयोजन- लोहारी-सिल्ली-पण्ड-कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित
श्रेणी 9(3) एवं अन्य वन :-

ख० खा० सं०	नाम खातेदार	फ० सन्	खसरा न०	रकबा (हे०)	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी इन्दराज	विशेष टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7 - 12	13
10	चीड़ जंगल		141	1.750		श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर के आ० स० 75/ दब्बीस-06 वन/ 2016-17 दि० 31/01/18 के अनुसार लोहारी सिल्ली पण्ड कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण हेतु खेत न० 141 रकबा 1.750 हे०, 541 रकबा 0.783 हे०, 543 रकबा 0.620 हे० एवं 544 म० रकबा 0.341 हे० कुल 4 खेत रकबा 3.494 हे० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के नाम नामान्तरण किया जाता है।	
			541	0.783			
			542	1.065			
			543	1.300			
			544	0.701			
			545	0.563			
				कुयश:			
			553	0.900			
			554	0.903			
			555	0.915			
				कुयश:			
			1227	0.313			
			1228	0.110			
			1229	0.593			
	योग :-		27	22.043			

राज० नि० बिलखेत

महोदय,

असल खतौनी से तैयार किया।

26/04/20

राज० नि० बिलखेत

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D.P.W.D Bageshwar

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com

दूरभाष / फैक्स नं0 : 05963-220249 फैक्स नं0 05963-220209

पत्रांक 5285 / 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 28/06 /2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0विभाग,
बागेश्वर।

विषय – जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली बैण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.747 है0 वन भूमि में अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : – सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 5–3 / 2011–FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र कम में भारत सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में एन0पी0वी0 की देय धनराशि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है। कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किए 05 वर्ष पूर्ण होन के उपरान्त तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है, में एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सराकर के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालनार्थ के कम में उक्त प्रस्ताव में उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 26 सितम्बर 2017 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुए पॉच वर्ष पूर्ण होने के कारण एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उक्त अवशेष धनराशि के मांग पत्र को ऑन लाईन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क0 सं0	मद	क्षेत्रफल	ई0को0 क्लास	घनत्व	वर्तमान दर प्रति (लाख में)	जमा की जाने वाली धनराशि (लाख में)	जमा की गयी धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में)
1	एन0पी0वी0	1.747 है0	5	0.1	1005210.00	17,56,102.00	11,47,779.00	06,08,323.00
			कुल योग			17,56,102.00	11,47,779.00	06,08,323.00

(उमेश चन्द्र तिवाड़ी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

"D:\samany 2018-19\land transfer\chhapan/ P.M.G.S.Y BGR 221018docx"

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 22-09-2023

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6110057489
State Code.	UK
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(in Rs)	608323/-

Amount in Words :Six Lakh Eight Thousand Three Hundred and Twenty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUK6110057489
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 22-09-2023

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6110057489
State Code.	UK
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	608323/-

Amount in Words :Six Lakh Eight Thousand Three Hundred and Twenty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUK6110057489
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: ubicampa@unionbankofindia.com

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 43 (58)

परियोजना का नाम:— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त/ अन्तरीय धनराशि भी उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

प्रपत्र सं. 38

परियोजना का नामः– राज्य योंजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण।

(28)

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

मोटर मार्ग निर्माण [illegible] के किनारे [illegible] हेतु स्थान उपलब्ध हो [illegible]

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः–राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी तल्ली सिल्ली–बन्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम .....सिल्ली लोहारी तल्ली
तहसील गरुड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में लोहारी तल्ली–सिल्ली–बन्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.747 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.747 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत .....सिल्ली.....द्वारा दिनांक 5/12/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा निजी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम .....सिल्ली लोहारी.....के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0/
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत सिल्ली
ग्राम पंचायत सिल्ली
वि0ख0–गरुड़ (बागेश्वर)

ह0/
ग्राम प्रधान
सीमा जायसवाल
प्रधान
ग्राम पंचायत सिल्ली
वि0ख0–गरुड़, जिला–बागेश्वर

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D.P.W.D Bageshwar

प्रपत्र–23.1

दिनाक 5/12/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सिल्ली

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गणेश चन्द्र पाण्डेय - अध्यक्ष यु० म० दल सिल्ली	[signature]
2	रघुवीर सिंह रंगी	[signature]
3	महेश चन्द्र [illegible]	[signature]
4	नवीन चन्द्र खोलिया	[signature]
5	ललित मोहन जोशी	[signature]
6	दयाल गिरी	[signature]
7	गिरीश चन्द्र जोशी पूर्व प्रधान	[signature]
8	गिरीश चन्द्र	[signature]
	कैलाश चन्द्र जोशी (वार्ड नं०)	[signature]
9	[illegible] जोशी	[signature]
10	कैलाश चन्द्र	[signature]
11	[illegible] चन्द्र खोलिया	[signature]
12	नवीन चन्द्र खोलिया	[signature]
13	महेश चन्द्र पाण्डेय	[signature]
	मोहन लाल टम्टा	[signature]
	प्रकाश रंगी - पूर्व क्षे० पंचायत सदस्य	[signature]
	नवीन देवराडी - वार्ड से (उपप्रधान)	[signature] 22/11/15

[illegible] प्रसाद खोलिया [signature]

गंगा दत्त [illegible]

[signature]

गंगा दत्त [illegible]

प्रधान
ग्राम पंचायत सिल्ली
वि०ख०-गरुड़, जिला-बागेश्वर

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

1.6

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम –मटेना.
तहसील गरूड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.000 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.747 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.000 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.747 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **मटेना** द्वारा दिनांक 22-8-2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत .मटेना (तोक मटेना एवं सेलखोला) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0/
ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ..मटेना
वि0ख0 गरूड़ (बागेश्वर)
उत्तराखण्ड

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रधान
ग्राम पंचायत मटेना
वि0 ख0 गरूड़ (बागेश्वर)

ह0/
ग्राम प्रधान

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनाक 22-8-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत–मटेना, तोक–मटेना

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जगदीश चन्द्र काण्डपाल	[illegible]
2	नवीन चन्द्र जोशी	नवीन चन्द्र जोशी
3	शंकर दत्त काण्डपाल	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	शिव शंकर जोशी	[illegible]
6	योगेश चन्द्र जोशी	योगेश जोशी
7	सुरेश चन्द्र जोशी	सुरेश चन्द्र जोशी
8	शिवदत्त	शिवदत्त
9	शंकर दत्त काण्डपाल	[illegible]
10	नवीन चन्द्र	नवीन चन्द्र
11	विनोद कुमार	विनोद कुमार
12	राजेन्द्र प्रसाद	राजेन्द्र प्रसाद
13	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]
16	गंगादत्त	गंगादत्त

[illegible]
प्रधान
ग्राम पंचायत मटेना
वि0 ख0 गरूड़ (बागेश्वर)

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनाक 22-8-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत–मटेना, तोक–सेलखोला

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जगदीश चन्द्र काण्डपाल	[illegible]
2	नवीन चन्द्र जोशी	नवीन चन्द्र जोशी
3	शंकर दत्त काण्डपाल	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	शिवशंकर जोशी	[illegible]
6	योगेश चन्द्र जोशी	योगेश जोशी
7	सुरेश चन्द्र जोशी	सुरेश चन्द्र जोशी
10	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]
12	गोपाल दत्त	गोपालदत्त
13	[illegible]	[illegible]
14	मोहन चन्द्र	मोहन चन्द्र
15	विनोद चन्द्र काण्डपाल	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

शकुन्तला देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत मटेना
वि0 ख0 गरूड़ (बागेश्वर)

1.6

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम –अमोली
तहसील गरूड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.000 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.747 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.000 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.747 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत अमोली द्वारा दिनांक 21-8-2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत अमोली (तोक अमोली) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0/
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सचिव
वि0ख0-गरुड़ (बागेश्वर)
उत्तराखण्ड

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

दिनेशचन्द्र
प्रधान
ह0/
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत अमोली
वि0ख0-गरुड़ जिला-बागेश्वर

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनाक 21-8-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत–अमोली, तोक–अमोली

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	राजेन्द्र राम पुत्र विशनराम राम (W.M.)	राजेन्द्र राम
2-	जगदीश राम पुत्र अमर राम (W.M.)	जगदीश राम
3.	भागुली देवी W/O मोहनराम	भागुली देवी
4-	विशन राम पुत्र दीवान राम	विशन राम
5.	हंसी देवी W/O गोविन्द कोहली (W.M.)	हंसी देवी
6.	पार्वती देवी W/O हेमचन्द्र (W.M.)	पार्वती देवी
7.	दिनेशचन्द्र S/O देवीदत्त	दिनेशचन्द्र
8.	नन्दकिशोर S/O गोपालराम	नन्द किशोर
9.	कान्तीराम पुत्र बचीराम	कान्ती राम
10-	मोहनराम पुत्र जगतराम	मोहन राम

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम –जिनखोला
तहसील गरूड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.000 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.747 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.000 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.747 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जिनखोला द्वारा दिनांक 23-8-2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत जिनखोला (तोक डोपा एवं जिनखोला) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0/
ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत जिनखोला
वि0ख0-गरुड़ (बागेश्वर)
उत्तराखण्ड

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

बसन्ती देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत जिनखोला
वि0ख0 गरुड़ जनपद बागेश्वर

ह0/
ग्राम प्रधान

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनाक 23-8-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत–जिनखोला, तोक–जिनखोला

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री भवानीराम S/o पनीराम	भवानी राम
2.	" शंकरराम S/o किशनराम	शंकर राम
3.	" दानीराम S/o तिलराम	दानी राम
4.	" दीवानराम S/o नाथूराम	दीवान राम
5.	" लछीराम S/o पनराम	लछीराम
6.	" हरीराम S/o खुशराम	हरीराम
7.	लालूराम S/o रामलाल	लालूराम
8.	राजनराम S/o रामलाल	राजनराम
9.	बलवन्तसिंह S/o सुगनसिंह	[illegible]
10	चन्द्रकान्त भंडारी S/o सुगनसिंह	[illegible]
11.	धनसिंह S/o शोबनसिंह	धनसिंह
12.	हरीशसिंह S/o पानसिंह	हरीश सिंह
13.	हीरादेवी S/o गोपालसिंह	हीरा देवी
14.	गोपालसिंह S/o दीवानसिंह	गोपालसिंह
15.	अमरसिंह S/o कुन्दनसिंह	अमर सिंह
16.	बहादुरसिंह S/o दीवानसिंह	बहादुर सिंह
17.	राजनसिंह S/o लछमसिंह	राजन सिंह
		पारुली देवी

प्रधान
ग्राम पंचायत जिनखोला
वि0ख0 गरुड़ जनपद – बागेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनाक 23-8-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत–जिनखोला, तोक–डोपा

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री लीलाधर S/o अम्बादत	लीलाधर
2-	" श्यामदत्त S/o अम्बादत	[illegible]
3-	" प्रकाशचन्द S/o नित्यानन्द	प्रकाश चन्द
4-	" महेशचन्द	महेशचन्द
5.	चन्दन जोशी S/o पूरनचन्द	चन्दन जोशी
6.	जगदीश सिंह भाकुनी S/o विरसिंह	[illegible]
7.	भुवनचन्द जोशी S/o पूरनचन्द	भुवनचन्द जोशी
8.	चन्दन सिंह S/o विरसिंह	चन्दन सिंह
9.	किशन सिंह S/o खड़कसिंह	[illegible]
10	गोविन्द वल्लभ S/o ईश्वरीदत्त	गोविन्द वल्लभ
11.	ठाकुर सिंह S/o माधोसिंह	ठाकुर सिंह
		[illegible]

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रधान
ग्राम पंचायत जिनखोला
विकास खण्ड जनपद – बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम –बण्ड
तहसील गरूड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.000 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.747 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.000 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.747 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बण्ड द्वारा दिनांक 23-8-2014 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत बण्ड (तोक बण्ड एवं पन्याली) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0 /
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बण्ड
वि0ख0 गरूड़ (बागेश्वर)
उत्तराखण्ड

सरपंच
वन पंचायत बण्ड पन्याली
वि0 ख0 गरूड़ बागेश्वर
पो.-नागरीगांव / बागेश्वर

प्रधान
ग्राम पंचायत बण्ड, नागरीगांव
वि0ख0 गरूड़ (बागेश्वर)
ह0 /
ग्राम प्रधान

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनाक 23-8-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत–बण्ड, तोक–बण्ड

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री शंकर नाथ सिंह	
2	श्री नन्दन सिंह बिष्ट	
3	श्री केसर सिंह	
4	" बहादुर सिंह	केदार सिंह
5	" भुवन	Bahadur Singh Bisht
6	किसन सिंह	भुवन
7	महेन्द्र सिंह	[illegible]
8	मदन राम	[illegible]
9	पूरन सिंह S/o हयात सिंह	मदन राम
10	किसन सिंह	पूरन सिंह
11	जगदीश सिंह	[illegible]
12	आनन्द सिंह	[illegible]
13	पूरन सिंह	[illegible]
14	शंकर सिंह	Shankar
15	लछम सिंह	[illegible]
16	नैन सिंह	नैन सिंह
17	सुन्दर सिंह	सुन्दर सिंह
18	पान सिंह	पान सिंह

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रधान
ग्राम पंचायत बण्ड, गागरीगोल
वि0ख0 गरुड़ (बागेश्वर)

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनाक 23-8-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत–बण्ड, तोक–पन्याली

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री धनीराम आर्य S/. बचीराम	धनीराम
2.	" ~~बचीराम~~ दीवान राम S/. बचीराम	Diwan Ram
3.	मोहनसिंह	मोहनराम
4.	सन्तोष कुमार	Santosh Kumar
5.		संतोष
6.	दीपक कुमार	
7.	भूपेन्द्र प्रसाद	
8.		
9.	विनोद कुमार	
10.	हरीश राम	हरीश
11.	हीरा राम	हीरा राम
12.	रमेश राम	रमेश राम

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रधान
ग्राम पंचायत बण्ड, गरुड़
वि0ख0 गरुड़ (बागेश्वर)

1.6

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम –सिल्ली
तहसील गरूड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.000 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.747 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.000 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.747 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिल्ली द्वारा दिनांक 20-8-2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत सिल्ली (तोक कनेड़ी एवं सिल्ली) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सचिव सिल्ली
वि0ख0–गरुड़ (बागेश्वर)
उत्तराखण्ड

सरपंच
वन पंचायत सिल्ली कनेड़ी
गो0/वि0ख0 गरुड़ (बागेश्वर)

20-8-14 सीमा पाण्डेय
ग्राम पंचायत सिल्ली
वि0ख0 गरुड़ (बागेश्वर)
ह0/
ग्राम प्रधान

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनाक 20-8-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत–सिल्ली, तोक–सिल्ली

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री गणेश चन्द्र पाणेय	[signature]
2-	श्रीमती सीमा पाणेय	सीमा पाणेय
3-	श्री नवीन चन्द्र देवराडी	[signature]
4-	श्री नवीन चन्द्र खोलिया	नवीन चन्द्र खोलिया
5-	श्रीमती कमला दुबे	कमला दुबे
6-	श्रीमती गीता देवी	गीता देवी
7-	श्री मुकेश नेगी	मुकेश नेगी
8-	श्री कैलाश चन्द्र ओशी	[signature]
9-	श्री रघुवीर सिंह नेगी	रघुवीर
10	श्री नन्दा बल्लभ पंत	[signature]
11	श्री गिरीश चन्द्र दुबे	गिरीश चन्द्र दुबे
12	श्रीमती भावना पाणेय	भावना पाणेय
13-	श्रीमती मालती देवी	[illegible] अगूठा निशानी पर मालती देवी
14-	श्रीमती नीमा पाणेय	नीमा पाणेय
15-	श्री राजेन्द्र ओशी	राजेन्द्र [illegible]

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

नवीन खोलिया
सरपंच
वन पंचायत सिल्ली कनेड़ी
पो०/वि०ख० गरुड़ (बागेश्वर)

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनाक 20-8-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत–सिल्ली, तोक–कनेड़ी

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्रीमती आनन्दी देवी	आनन्दी देवी
2	श्री मदन मोहन दत्त	मदन मोहन दत्त
3	श्री प्रकाश शर्मा	प्रकाश शर्मा
4	श्री राजेन्द्र शर्मा	राजेन्द्र शर्मा
5	श्री भुवन शर्मा	भुवन शर्मा
6	श्री ललित शर्मा	ललित शर्मा
7	श्री मोहन शर्मा	मोहन शर्मा
8	श्रीमती हेमा शर्मा	हेमा शर्मा
9	श्री प्रयाग दत्त	प्रयाग दत्त

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

जीत सिंह
सचिव
वन पंचायत सिल्ली कनेड़ी
पो0/वि0ख0 गरुड़ (बागेश्वर)

1.6

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम –दुदिला
तहसील गरूड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.000 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.747 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.000 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.747 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दुदिला द्वारा दिनांक 21-8-2014 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत दुदिला (तोक दुदिला) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सचिव
वि0ख0–गरुड़ (बागेश्वर)
उत्तराखण्ड

विमला देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत दुदिला
वि0 ख0 गरुड़ (बागेश्वर)

ह0 /
ग्राम प्रधान

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली–बण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण।

दिनाक 21-8-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत–दुदिला, तोक–दुदिला

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री विपिन राम	विपिन राम
2	" हीरा लाल	हीरा लाल
3	" दिनेश राम	दिनेश राम
4	" भुवन राम	भुवन राम
5	" जगदीश प्रसाद	जगदीश प्रसाद
6	आनन्द प्रसाद	Anand Prasad
7	खयाली राम	खयाली राम
8	प्रमोद कुमार	प्रमोद कुमार
9	पूरन राम	पूरन राम
10	नन्दी देवी	नन्दी देवी

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

बिमला देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत दुदिला
वि0 ख0 गरुड़ (बागेश्वर)

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/209/2015/एफ0सी0/1119 दिनांकः 26/09/2017

सेवा में,

सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली बैण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.747 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अपर सचिव, उत्तराखंण्ड शासन की पत्र संख्या– 855/X-4-15/1(464)/2015 दिनांक 19.09.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/10057/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद–बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली बैण्ड–कनस्यारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.747 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.50 है0 ग्राम– बगडुंगरा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते मे **Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है**, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।
5. सडक निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will provide/upload Village Level Committee proceedings for village Lohari Talli because this document has not been provided. Further, the date of Village Level Committee meeting proceedings of remaining 6 villages is after the date of the proceedings of Sub-Divisional Level Committee meeting, the District Level Committee meeting and the date of issue of FRA certificate. This anomaly will be corrected by the State Govt. and revised document will be submitted/upload accordingly.

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

Photo Copy Attested
Assistant Engineer